20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

58

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-3951/2018/शिवपुरी/भू.रा

1. कल्याण
2. बारेलाल, पुत्रगण दमरू,
3. कमलसिंह पुत्र हरनमा,
4. हजरतसिंह,
5. राजेन्द्रसिंह,
6. संग्रामसिंह पुत्रगण कल्याणसिंह, समस्त निवासीगण- ग्राम दुर्गापुर कृषक ग्राम चचौरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 25-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-7-18 नियत।

25-6-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. गिरवर,
2. हरनाम पुत्रगण दमरू,
3. मेवालाल,
4. रामनिवास,
5. विनोद पुत्रगण गिरवर,
6. सुजान पुत्र हरनाम, समस्त निवासीगण- ग्राम दुर्गापुर कृषक चचौरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 25-06-2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2017-18 में पारित आदेश पारित दिनांक 16/03/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन ~~अपील~~ पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/16-17/अ-27 में सहमति से विभाजन आदेश दिनांक 07/12/2016 पारित किया गया था।
2. यहकि, इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय खनियाधाना के समक्ष दिनांक 02/02/2018

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3951/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
23.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खनियांधाना जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 60/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.3.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **कलेक्टर जिला शिवुपरी**	